भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

सं..1584 /45-परीक्षा/परिपत्र/फरवरी-मार्च 2014/पूरक/2010/भाग-III
दिनांकः- 30-12-2013

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र संख्या 22

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः-फरवरी/मार्च 2014 पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस)/ राजस्व लेखापरीक्षा (आरए)/ प्रोत्साहन (आई) और सतत व्यवसायिक विकास -I (सीपीडी) परीक्षाऐं।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के पत्र संख्या 270/45-परीक्षा/पूरक 14/2012 दिनांक 24-10-2013 के माध्यम से जारी 2013 के परिपत्र संख्या 17 की निरंतरता में यह बताया जाता है कि पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाऐं 25-02-2014 से 04-03-2014 तक आयोजित की जायेगी। तिथि पत्र यथासमय सूचित किया जायेगा। उक्त परीक्षा मे बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित कर दिया जाये।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय
हस्ता/-
कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

सं..1525 /45-परीक्षा/परिपत्र/फरवरी-मार्च 2014/पूरक/2010/भाग-III
दिनांकः- 19-12-2013

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र संख्या 21

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- पी.सी.-4/आई.ई. -4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक) तथा पी.सी.-1,भाषा कौशल फरवरी/मार्च 2014 पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा लेखा सेवा (एसएएस) तथा प्रोत्साहन परीक्षा में सोफ्टवेयर का संस्करण।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि फरवरी/मार्च 2014 पूरक की एसएएस तथा प्रोत्साहन परीक्षाओं के पी.सी.-4/आई.ई.-4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक) और पीसी-1, भाषा कौशल के प्रश्न पत्रों में परिचालन प्रणाली तथा सोफ्टवेयर क्रमशः Windows XP&MS Office 2003 होगे। अतः अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण तद्नुसार दिया जाये।

फरवरी/मार्च 2014 पूरक एसएएस और प्रोत्साहन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों, को तद्नुसार सूचित किया जाये।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय
हस्ता/-
कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र सं.20

सं.1367/45- परीक्षा/परिपत्र/पूरक/फरवरी/
मार्च-2014/2010 (खण्ड-III)

दिनांकः-13-11-2013

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र /एन.ए.ए.ए./आई.सी.आई.एस.ए. नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- फरवरी/मार्च 2014 पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा (आरए)/ प्रोत्साहन (आई) और सतत व्यावसायिक विकास-I परीक्षाएँ।

महोदय/महोदया,

फरवरी/मार्च 2014 में आयोजित होने वाली पूरक एसएएस/आरए/आई और सीपीडी-I परीक्षा के संबंध में परीक्षा अनुभाग के 2013 के परिपत्र संख्या 17 जो कि पत्र संख्या 270/45-परीक्षा/परिपत्र/पूरक 2014/2010 दिनांक 24-10-2013 के माध्यम से जारी किया है कि निरंतरता में, यह सूचित किया जाता है कि पीसी-1, भाषा कौशल के हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए पूरक एसएएस/आरए/आई और सीपीडी-I परीक्षा देने के लिए भी, कस्टमाइज्ड ले आउट की बोर्ड "रैमिंगटन" के साथ आम तौर पर प्रयोग होने वाला "अक्षर" फोंट उपलब्ध होगा। यह पहले से ही सी.ए.जी की वेबसाइट पर पीसी-1 भाषा कौशल के अभ्यर्थियों के अभ्यास के लिए डेमो टेस्ट में अपलोड किया हुआ है। डेमो टेस्ट बेबसाइट http://72.9.100.234/cagdtest, पर मार्ग About Us - Other Wings - Examination. द्वारा

पहुंचा जा सकता है। यह दोहराया जाता है कि अभ्यर्थियों को सी.बी.टी.मोड द्वारा परीक्षा से परिचय कराने के लिए, पी.सी.- I भाषा कौशल के भाग "बं" (मसौदा तथा लेखन योग्यताए) सहित उपयुक्त पेपरों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें।

पुनः अभ्यर्थियों के लिए यह भी सूचानार्थ है कि सीबीटी मोड में, पीसी-1, भाषा कौशल की परीक्षा देते समय टैब एवं कन्ट्रोल कीज़, कट, कॉपी एवं पेस्ट कमान्डस निष्क्रिय कर दिया जायेगी। टूल बाक्स में दर्शाया गया इन्डेन्ट बटन का प्रयोग पैराग्राफ के बीच की जगह बढाने या घटाने में किया जा सकता है जैसा कि अनुदेशों में इंगित है। पी.सी.- 4 /आई.ई.- 4 सूचना तकनीक (व्यवहारिक)प्रश्न-पत्र में भी शार्ट कट कीज़ जैसे Ctrl Key भी निष्क्रय रहेगा।

अभ्यर्थियों को तदनुसार सूचित किया जाये। कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र सं.19

सं.1365/35- परीक्षा /2008/V
दिनांकः-11-11-2013

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(अधीनस्थ कार्यालयों सहित)
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएएए/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- फरवरी/मार्च 2014 में आयोजित होने वाली पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट के स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के पत्र संख्या 277/35-परीक्षा/2008/V दिनांक 04-04-2013 के माध्यम से जारी 2013 के परिपत्र संख्या 9 के अनुसार एसएएस परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में आने वाले अभ्यर्थियों को अनुमेय छूट की सीमा पूरक एसएएस परीक्षा फरवरी/मार्च 2014 के लिए भी लागू रहेंगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भविष्य में एसएएस परीक्षा के लिए ऐसी छूट की सीमा की समीक्षा की जाएगी और ऐसी परीक्षा के आयोजन से पूर्व तद्नुसार अधिसूचित की जाएगी।

इस छूट का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उचित रूप से उपर्युक्त छूट की जानकारी दी जानी चाहिए।

कृपया इस पत्र की पावती आवश्यक भेजे।

भवदीय,
हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र सं.18

सं.1364/45- परीक्षा /परिपत्र/फरवरी/मार्च-2014/पूरक/2010(खण्ड-III)

दिनांकः-5.11.2013

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएए,शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)
(विदेशों में स्थित लेखापरीक्षा कार्यालयों को छोड़कर)

विषय:- फरवरी/मार्च 2014 में आयोजित होने वाली पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा (आरए)/प्रोत्साहन (आई)/सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी-I) परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के ऑन-लाइन पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश और परीक्षा केन्द्रों की सूची।

महोदय/महोदया,

जैसा कि परीक्षा अनुभाग के पत्र संख्या 270/ 45-परीक्षा/ परिपत्र/ पूरक 14 दिनांक 24-10-2013 को जारी परिपत्र संख्या 17 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है, पूरक एसएएस/ आरए/ आई/ सीपीडी-I परीक्षा फरवरी/मार्च 2014 में होगी। परीक्षा मौजूदा अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जायेगी अर्थात अभ्यर्थी जो अगस्त 2013 या उससे पहले की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षा में बैठे थे परंतु इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाये थे। इसके अतिरिक्त, एसएएस परीक्षा केवल उन कार्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होगी, जिसमें परीक्षा अनुभाग के पत्र संख्या 172/45-परीक्षा/ परिपत्र/अगस्त 2013/2010 खण्ड-III दिनांक 28-3-2013 के द्वारा जारी परिपत्र संख्या 6 के अनुसार अगस्त 2013 एसएएस परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा तिथि यथासमय जारी की जायेगी।

2. पूर्वोक्त परीक्षा के लिए संभावित अभ्यर्थियों का ऑन-लाइन पंजीकरण 15-11-2013 से 30-11-2013 तक होगा। चूँकि पंजीकरण ऑनलाइन है इसमें की गई प्रविष्टियों के साथ-साथ पंजीकरण को पुनः खोले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए जोर दिया जाता है कि अभ्यर्थियों के विवरणों की यथातथ्यता का सत्यापन सेवा पुस्तिका और इससे संबंधित अन्य अभिलेखों से सुनिश्चत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाता है तो अवसर को उसका उपयोग किये जाने के समान माना जायेगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित कैडर नियंत्रित करने वाले कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर ऑन-लाइन पंजीकृत किया जाना है। संबंधित कार्यालय के वरि.. उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार (प्रशासन) या वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) अभ्यर्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे और अभ्यर्थियों के विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करेंगे। इससे न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी बल्कि पंजीकरण में दुहरीकरण से बचाव होगा और निवेश नियंत्रण (इनपुट कंट्रोल) के रूप में कार्य करेगा। इस प्रयोजन के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों को इंटरनेट की सुविधा सहित एक या अधिक समर्पित निजी कंप्यूटरों को अलग से निर्धारित करना चाहिए। अभ्यर्थियों के पंजीकरण के लिए पासवर्ड भेजे जा चुके हैं। विभागाध्यक्षों द्वारा अभ्यर्थियों के पात्रता के अनुमोदन के लिए पासवर्ड अलग से भेजे जा रहे हैं।

अति महत्वपूर्णः-

4. अभ्यर्थियों के ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी स्पष्ट निर्देश के बावजूद अपूर्ण/गलत/विलंबित पंजीकरण के कुछ मामले देखने में आये। **अयोग्य अभ्यर्थियों के पंजीकरण के उदाहरण सामने आये।** पंजीकरण के विवरणों की जाँच के दौरान यह देखा गया है कि पंजीकरण के समय कुछ अभ्यर्थियों ने केवल वर्ग-I या केवल वर्ग-II के लिए आवेदन किया है और अंतिम क्षण में वर्ग बदलने के लिए अनुरोध किया है। कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के समय कुछ पेपरों में छूट का दावा नहीं किया है और उसके बाद या तो प्रवेश पत्रों को जारी करते समय या पंजीकरण बंद होने के बाद दावा किया है। ऐसे भी मामले थे जिसमें अभ्यर्थियों ने, यद्यपि पूर्व परीक्षा में स्वयं को ऑन लाइन पंजीकृत किया है, अखिरी परीक्षा में उनको आबंटित इंडेक्स नंबर का प्रयोग न करते हुए नये अभ्यर्थी के रूप में पुनः पंजीकरण किया है। यह नाम में छोटा सा परिवर्तन करके किया गया था। स्पेस (-)/अंडरस्कोर (-)/या अल्पविराम(,) या बिंदु (.) का प्रयोग या नाम में प्रत्यय/उपसर्ग/ शब्द छोड़कर। **यह सभी स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि परीक्षा की पात्रता के लिए अभ्यर्थियों के विवरणों की जाँच ठीक से नहीं की गई है।** यह दोहराया नहीं जाना चाहिए।

इसलिए, कृपया अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए किः-

(i) अभ्यर्थी एवं उसके पिता का पूरा नाम सेवा पुस्तिका के अनुरूप दर्ज किया गया है। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, सभी विवरणों को पूर्ण रूप से जाँचने के बाद ही अनुमोदित/प्रस्तुत किया जाना हैं। विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित कर लें कि भरे गये विवरण सही व पूर्ण हैं और केवल योग्य अभ्यर्थी ही पंजीकृत हुए हैं।

(ii) अभ्यर्थी का विवरण विधिवत जाँच लिया गया है, विशेष रूप से इंडेक्स नंबर/वर्ष/शाखा जिसमें वह बैठा है, पदनाम एवं जिसमें छूट का दावा किया है। एसएएस/ एसओजीई /आरए / आई/सीपीडी-I परीक्षा के पेपरों और नॉन-एसएएस परीक्षा के पेपरों से संबंधित छूट के दावों का विवरण केवल उचित स्थान में भरें गये हैं। मुख्यालय कार्यालय को छूट की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा का वर्ष जिसमें छूट सुरक्षित/अर्जित करी हो सदा उल्लिखित करें।

(iii) ऑन-लाइन पंजीकरण प्रपत्र में अभ्यर्थियों का "यूनीक आईडी नंबर" (यूआईडीएन) भरने के लिए स्थान बनाया गया है। "यूआईडीएन" आवंटित करना पत्र संख्या 315-एन.जी.ई (नियुक्ति)/11-2004 दिनांक 11-05-2005 के माध्यम से जारी द्वारा मुख्यालय परिपत्र संख्या 35-एन.जी.ई/2005 के द्वारा अपेक्षित था। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कैडर कंट्रोलिंग कार्यालय द्वारा आबंटित "यूनीक आईडी नंबर" परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण के समय भरे जाये।

(iv) यदि वांछनीय है, डिवीजनल एकाउंटेंट/डीएओ-II द्वारा पीसी-16 में छूट के दावे के लिए पंजीकरण मोड्यूल में स्थान दिया गया है। डिवीजनल एकाउंटेंट ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और अनुक्रमांक संख्या उसके लिए दिये गये स्थान पर भरनी है। पीसी-16 में छूट के दावे के संबंध में डिवीजनल एकाडंटेंट/डीएओ-II के विवरणों की विधिवत जाँच की जानी है।

(v) अभ्यर्थियों को अपने कैडर कंट्रोलिंग कार्यालयों, द्वारा पंजीकृत होना है। जिस फोटो को अपलोड किया जा रहा हो वह 1 नबंवर, 2013 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

(vi) यदि किसी कार्यालय विशेष से, पंजीकृत होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी का स्थानांतरण दूसरे कार्यालय में हो जाता है, उसके दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के विषय में मुख्यालय को तुरंत सूचित करें।

5. उपर्युक्त परीक्षाओं के पंजीकरण हेतु विस्तृत निर्देश/चरण,केन्द्रों की सूची सहित संलग्न हैं।

6. इसके,अतिरिक्त, स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (प्रशासकीय) के अध्याय IX में निर्धारित अन्य दूसरी जाँचो को श्रेणी, दावा की गई छूटों आदि जैसी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना के पूर्ण सत्यापन के आलावा विभागध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाना हैं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजे।

भवदीय

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षा फरवरी/मार्च 2014 के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश

अ- अभ्यर्थियों का पंजीकरण (पंजीकरण मोड्यूल)

(1) http://examreg.cag.gov.in/registration/वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(2) प्रणाली कार्यालय कोड और पासवर्ड पूछता है। कृपया उन्हें दर्ज करें। पासवर्ड भेज दिये गये है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन में सारी महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी लाल तारांकन से संकेतित है। प्रणाली आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुमति तब तक प्रदान नही करेगी जब तक कि लाल ताराकंन वाली सारी जानकारी भरी न जा चुकी हो,

(4) यदि अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकरण के ऑन लाइन सीबीटी मोड के अंतर्गत पंजीकृत है तो अखिरी सीबीटी इंडेक्स नंबर भरें। जन्म तिथि चयन करें और प्रस्तुत (Submit) बटन दबाये। उसके बाद जैसा पूछा गया हो वैसे आवश्यक स्थान को भरें।

(5) अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व एसओजी परीक्षा दी है और सीबीटी मोड में परीक्षा नहीं दी है, उन्हें अपना एसओजीई इंडेक्स नंबर, वर्ष और माह जिसमें वह अखिरी बार बैठे हों भरना होगा और "प्रस्तुत नया पंजीकरण" (Submit New Registastion) बटन को दबायें। उसके बाद जैसा पूछा गया हो वैसे आवश्यक स्थान भरें।

(6) "प्रस्तुत (Submit)" बटन को दबाने से पहले अभ्यर्थियों के विवरण की सूक्ष्म विवेचन कर लें। यदि किसी जानकारी को संशोधित करना हो तो ऐसा करने के लिए "संपादित" (Edit) बटन दबायें। **जब कोई भी जानकारी "संपादित" (Edit) बटन के प्रयोग द्वारा संशोधित/संपादित की जायें तो हस्ताक्षरित फोटो को "ब्राउस" बटन का प्रयोग करके पुनः अपलोड करें। दोहरायें, यदि किसी भी जानकारी को "संपादित" (Edit) बटन के प्रयोग द्वारा संशोधित/संपादित किया जाये, तो हस्ताक्षरित फोटो को "ब्राउस" बटन का प्रयोग करके पुनः संलग्न/पुनः अपलोड किया जाना चाहिए।** एक बार "पुष्टि" (Confirm) बटन के प्रयोग द्वारा जानकारी की पुष्टि होने पर, पंजीकरण के स्तर पर संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(7) पुष्टि के बाद, प्रणाली आवेदन को अंतिम मानती है और एसएएस के लिए "एस", राजस्व लेखापरीक्षा के लिए "आर", प्रोत्साहन परीक्षा के लिए "आई", और सीपीडी-I परीक्षा के लिए "सी" उपसर्ग लगाकर अभ्यर्थी का इंडेक्स नंबर जारी करती है।

(8) भविष्य में पत्राचार के लिए इंडेक्स नंबर नोट कर लेना चाहिए और विंडो बंद कर दें।

(9) यदि वैकल्पिक जानकारी जैसे अभ्यर्थियों का ई मेल पता और मोबाइल नंबर भरी गई हों तो यह प्रवेश पत्र के जारी तथा प्राप्त करने और परीक्षा हाल में प्रवेश करने से संबंधित संदेश भेजने को सुगम बनाने में सहायक होगा।

(10) प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। नवंबर 2010 से एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल छः प्रयास ही अनुमेय हैं। एक बार अभ्यर्थी का पंजीकरण हो गया तो अभ्यर्थिता से वापसी अनुमेय **नहीं** है।

(ब) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन (एडमिन मोड्यूल)

1. विभागाध्यक्ष को छूट की अनुमति सहित एमएसओ (प्रशासन) के अध्याय 9 के अनुसार प्रयोग किये जाने की आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से पूरी जाँच करनी चाहिए।

2. http://examreg.cag.gov.in/cag_admin "वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

3. प्रणाली यूज़रआईडी और पासवर्ड पूछेगी। यूज़र आईडी "Cag" है, पासवर्ड अलग से भेजे जा रहे हैं। कृपया उसे भरें। विभागाध्यक्ष यूजर आई डी और पासवर्ड बदल सकते हैं।

4. विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण देख सकते हैं। प्रणाली उस तिथि तक प्राप्त आवेदनों की संख्या को उनके इंडेक्स नंबर के साथ दिखाती है।

5. विभागाध्यक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध छूट मैट्रिक्स और पंजीकरण संख्या को दबाकर अभ्यर्थी द्वारा दावा की गई छूट का ऑन-लाइन सत्यापन कर सकते हैं।

6. विभागाध्यक्ष "संपादन" (Edit) बटन के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी के विवरण के सत्यापन के बाद कोई संशोधन हो तो उसके बाद "प्रस्तुत" (Submit) बटन दबायें। इससे अभ्यर्थी के आवेदन का विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन पूर्ण होगा अर्थात परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का अनुमोदन।

7. अभ्यर्थी "प्रतीक्षा" मोड के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। उसकी अभ्यर्थिता या तो "अनुमोदित" या "अस्वीकृत" होनी चाहिए।"प्रतीक्षा" मोड में अभ्यर्थी, अंतिम तिथि को स्वतः ही "अस्वीकृत" हो जायेगे।

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

फरवरी/मार्च 2014 पूरक एस.ए.एस./ आर.ए/आई/सीपीडी-I परीक्षा के लिए केन्द्रों की सूची

एस.ए.एस./आर.ए/प्रोत्साहन/ सीपीडी-I परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. एजवाल
4. इलाहाबाद
5. बैंगलुरू
6. भोपाल
7. भुवनेश्वर
8. चण्डीगढ
9. चैन्ने

   भुवनेश्वर में कटक

10. देहरादून

    मुम्बई में गोवा

11. गैंगटोक
12. गोरखपुर
13. ग्वालियर
14. गुवहाटी
15. हैदराबाद
16. इम्फाल
17. जयपुर
18. जम्मू

19 कोच्चि

20 कोलकाता

21. कोहिमा

    चंडीगढ में कपूरथला

    त्रीशूर में कोजीखोडे

22. लखनऊ
23. मुम्बई
24. मदुरै

25 नागपुर

26. नई दिल्ली

27. पुणे
28. पटना

कोलकाता में पोर्टब्लेयर

29. रांची
30. रायपुर
31. राजकोट
32. शिलांग
33. शिमला
34. श्रीनगर
35. त्रीशूर
36. तिरूवनन्तपुरम

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

2013 का परीक्षा परिपत्र सं.17

सं. 270/45- परीक्षा /परिपत्र/पूरक -14/2012
दिनांकः-24.10.2013

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएए,शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- फरवरी/मार्च 2013पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं का आयोजन।

महोदय/महोदया,

स्टाफ नियुक्ति विंग के पत्र संख्या 938-स्टाफ नियुक्ति-I/25-2011 दिनांक 24-11-2011 के माध्यम से जारी परिपत्र संख्या 34-स्टाफ नियुक्ति-I/2011 के अनुसार में पूरक एसएएस परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च में आयोजित होनी चाहिए। तद्नुसार अगली पूरक परीक्षा फरवरी/मार्च 2014 में आयोजित की जायेगी। पूरक एसएएस परीक्षा के साथ फरवरी/मार्च 2014 में पूरक राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन और सीपीडी-I परीक्षा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। तिथि बाद में सूचित की जायेंगी। अभ्यर्थियों का ऑन-लाइन पंजीकरण 15-11-2013 से 30-11-2013 तक होगा।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं.944 / प्र.नि.(परीक्षा) /परिणाम/एस.ए.एस. /आरए/आई/सीपीडी/अगस्त-13
दिनांकः 06 -09 -2013

2013 का परिपत्र संख्या 16

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.स./क्षे.प्र.केन्द्र /एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए. एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- अगस्त 2013 एस.ए.एस/आरए/आई /सीपीडी- I - परीक्षा का परिणाम।

महोदय/महोदया,

यह सूचित करने के लिए है कि 01-08-2013 से 08-08-2013 तक आयोजित एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया परिणाम व स्कोर कार्ड निम्नलिखित में से किसी भी वेब लिंक http://examreg.cag.gov.in/cag_admin/ और http://saiindia.gov.in/English/home/ about_us /Other_Wings/ Examination/ Result/Result.html से डाउनलोड कर लें। यूजर आईडी और पासवर्ड वही हैं जो अभ्यर्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्षों को भेजे गये थे। हस्ताक्षरित प्रति अलग से भेजी जा रही है।

भवदीय

हस्ता/-
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

.भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ल्ली

परीक्षा अनुभाग

सं.282/290- परीक्षा/कार्यक्रम/पूरक/एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I/फरवरी/मार्च-2014

दिनांकः-10.12.2013

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/एनएए,शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- फरवरी/मार्च 2014 पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का ऑन-लाइन पंजीकरण।

महोदय/महोदया,

फरवरी/मार्च 2014 पूरक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता के अनुमोदन के लिए पासवर्ड, संबंधित कार्यालयों को पहले ही भेज दिये गए हैं। विभागाध्यक्षों द्वारा अभ्यर्थता का अनुमादेन/अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, 20-12-2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

भवदीय,

हस्ता/-
कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

सं1371/290- परीक्षा/कार्यक्रम /फरवरी/मार्च-2014/पूरक 2013

दिनांकः-18-11-2013

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र /एन.ए.ए.ए./आई.सी.आई.एस.ए. नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय:- फरवरी/मार्च 2014 पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा (आरए)/ प्रोत्साहन (आई) और सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी)-I परीक्षाएँ

महोदय/महोदया,

स्टाफ नियुक्ति विंग के पत्र संख्या 632-एनजीई (नियुक्ति)/24-2010 दिनांक 07-06-2010 के द्वारा जारी परिपत्र संख्या 17 -एनजीई/2010 के अनुसार एसएएस परीक्षा के सभी पेपरों को पास करने के लिए अभ्यर्थियों, को अधिकतम छः अवसर अनुमत हैं।

2. अब सक्षम प्राधिकारी ने उन अभ्यर्थियों को जिन्होने सभी छः अवसर समाप्त कर लिए हैं और एसएएस परीक्षा में कम से कम पाँच पेपर पास कर लिए हैं/छूट प्राप्त कर ली है को लगातार चार अवसर और अधिक देने का निर्णय लिया है। यह अतिरिक्त अवसर फरवरी/मार्च 2014 में आयोजित होने वाली एसएएस (पूरक) परीक्षा से शुरू होंगे और लगातार 4 एसएएस परीक्षाओं के समाप्त होने के तुंरत बाद खत्म हो जायेंगे।

3. इसका व्यापाक प्रचार होना चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित कर दिया जाये।

4 कृपया इस पत्र की पावती आवश्यक भेजें।

भवदीय,
हस्ता/-
कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं. 793/45-परीक्षा/ परिपत्र/एस.ए.एस. /आरए/आई/सीपीडी/अगस्त-13 खण्ड - (III)
दिनांकः 02-08 -2013

2013 का परिपत्र संख्या 15

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षे.प्र.स./क्षे.प्र.केन्द्र /एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए. एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- निरंतर व्यवसायिक विकास परीक्षा (सीपीडी)- I - नकारात्मक अंकन हटाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

स्टाफ (नियुक्ति) विंग के पत्र संख्या 878 - कर्मचारी (नियुक्ति-I)/25-2011 दिनांक 06-09-2012 के द्वारा जारी परिपत्र संख्या 32/ स्टाफ (नियुक्ति-I)-2012 के द्वारा एसएएस उत्तीर्ण समूह "खं" अधिकारियों के लिये निरंतर व्यवसायिक विकास परीक्षा (सीपडी) - I शुरू की गई थी जो कि पहली बार अगस्त 2013 एसएएस/आरए/आई परीक्षाओं के साथ आयोजित की जानी है। कथित परिपत्र के पैराग्राफ 2 (V) के अनुसार इस परीक्षा में नाकारात्मक अंकन का प्रावधान कर दिया गया है।

पहली निरंतर व्यवसायिक विकास परीक्षा (सीपीडी) अगस्त 2013 में आयोजित की जानी है जिसमें सभी पात्र समूह "खं" अधिकारी भाग लेंगे और उनमें से अधिकांश के लिये कंप्यूटर आधारित परीक्षण प्रणाली में पहला अनुभव होगा। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय किया है कि सीपीडी-I परीक्षा में नाकारात्मक अंकन अगस्त 2013 सीपीडी-I परीक्षा में लागू नहीं किया जायेगा। यह 2-3 सीपीडी परीक्षा आयोजित होने के बाद लागू किया जायेगा । जैसा एसएएस/आरए और प्रोत्साहन परीक्षा के लिये किया गया था।

सीपीडी-I परीक्षा में नाकारात्मक अंकन के हटाने को व्यापक प्रचार देना चाहिये ताकि अगस्त 2013 सीपीडी -I में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पूर्वोक्त निर्णय से अवगत हो जायें।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेंजे।

भवदीय

हस्ताक्षरित
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली - 110124

परीक्षा अनुभाग

सं. 733/45-परीक्षा/ परिपत्र/अगस्त-13/ एस.ए.एस. /आरए/आई/सीपीडी/भाग - (III)

दिनांकः 09-07-2013

2013 का परिपत्र संख्या 14

सेवा में

विभाग के सभी संबंधित प्रमुख (डाक सूची के अनुसार)

वियः- अगस्त 2013 एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र।

महोदय/महोदया

अगस्त 2013 एस ए एस /आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र तैयार हैं और 09-07-2013 से 19-07-2013 तक निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी किये जाने है तथा अभ्यर्थी द्वारा सीधे डाउनलोड करने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना वर्तमान का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि 1 मार्च 2013 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, चिपका कर उस पर अपने हस्ताक्षर करने होगें । प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्रशासन के प्रभारी अधिकारी वरिठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। यह दो प्रतियों में है, एक प्रति अभ्यर्थी के लिए तथा दूसरी कार्यालय अभिलेख (कार्यालय प्रति) के लिए। प्रवेश पत्रों का प्रिन्ट एक क्लिक में 25 प्रवेश पत्र पत्रों के बैचों में निम्नलिखित तरीके से लिया जा सकता है।

- Link http://examreg.cag.gov.in/cag_admin
- अभ्यर्थता के अनुमोदन के लिए पूर्व सूचना के अनुसार "यूजर ID तथा HOD Password" का प्रयोग करे।
- लॉग इन के बाद मीनू बार में स्पट एसएएस/आरए/आई/सीपीडी I अभ्यर्थियों पर क्लिक करे।
- 25 प्रवेश पत्रों के बैचों में प्रिन्ट करने के लिए "हाइपर लिकं 0-24,25,49 - - - से 25 प्रवेश पत्रों को प्रिंट करने के लिएँ" पर क्लिक करें।
- एक प्रवेश पत्र का प्रिन्ट लेने के लिए, अभ्यंर्थी के इंडेक्स संख्या पर क्लिक करे।
  प्रवेश पत्रो को प्रवेश पत्र में दिये गये स्थान में, व.प्र.अ./प्र.अ. (प्रशासन) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

भवदीय

हस्ताक्षरित

(कर्ण सिह)

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग</u>
<u>नई दिल्ली-</u>

परीक्षा अनुभाग

सं.189 /45-परीक्षा/ परिपत्र/एस.ए.एस. /आरए/आई/सीपीडी/अगस्त-13 खण्ड - (III)
दिनांकः- 19-06-2012

2013 का परिपत्र संख्या 13

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए. एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- अगस्त 2013 एसएएस/आरए/आई और सीपीडी परीक्षाओं के लिए तिथि-पत्र

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2013 के परिपत्र सं. I जो कि पत्र संख्या 14/249-परीक्षा/कार्यक्रम/एसएएसई/आरएई/आईई/सीपीडीई/अगस्त 13 दिनांक 09-01-2013 के अंतर्गत जारी किया गया है की निरंतरता में यह कहा जाता है कि वार्षिक एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाऐ संलग्न तिथि-पत्र के अनुसार 01-08-2013 से 08-08-2013 तक आयोजित की जायेंगी। उक्त परिक्षाओं में बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित किया जा सकता है।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेंजे।

संलग्नक -तिथि-पत्र

भवदीय

हस्ताक्षरित
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफरमार्ग
नई दिल्ली-

अगस्त, 2013 एस.ए.एस./आर.ए /आई/सीपीडी- I परीक्षाओं के लिए तिथि-पत्र

दिनांक/दिन	पूर्वाह्न सत्र (9:00 बजे से 13:30 बजे)	अपराह्न सत्र (14: 00 बजे से 18:30 बजे)
01-08-2013 बृहस्पतिवार	पी.सी. - 1 (1 पेपर)	आर.ए.ई.- I एवं आई.ई.- I पी.सी. - 27, 28 एवं 29 (5 पेपर)
02-08-2013 शुक्रवार	पी.सी.- 2 (1 पेपर)	पी.सी. - 8, 9, 10, 11 एवं 12 (5 पेपर)
03-08-2013 शनिवार	पी. सी. -3, एवं आई.ई - 3 (2 पेपर)	पी. सी. - 13, 14 एवं 15 (3 पेपर)
04-08-2013 रविवार	अवकाश	अवकाश
05-08-2013 सोमवार	पी.सी.- 4 एवं आई. ई - 4 (2 पेपर)	पी.सी.-16, 17,18,19 एवं 20 (5 पेपर)
06-08-2013 मंगलवार	पी.सी.-5, 6, एवं 7 (3 पेपर)	पी.सी.- 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं आर.ए.ई - 4 से आर.ए.ई - 9 तक (12 पेपर)
07-08-2013 बुधवार	आर.ए.ई -2 एवं आर.ए.ई - 3 (2 पेपर)	आई.ई. - 2 (1 पेपर)
08-08-2013 बृहस्पतिवार	सी-2 (1 पेपर)	सी-1 (1पेपर)

बैच टाईमिंग्स

दिनांक/दिन	पूर्वाह्न सत्र		अपराह्न सत्र	
	बैच - I	बैच - II	बैच - III	बैच - IV
01-08-2013 बृहस्पतिवार	9 : 00 से 11 : 30	12 : 00 से 14 :30*	14 : 00 से 16.: 00**	16 : 30 से 18 : 30
02- 08- 2013 से 08-08-2013	9 : 00 से 11 : 00	11 : 30 से 13 : 30	14 : 00 से 16 : 00	16 : 30 से 18 : 30

*बैच II केवल ऐजवाल केन्द्र पर

**ऐजवाल केन्द्र पर बैच III नहीं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली - 110124

संख्या. 564/45-परीक्षा/परिपत्र/अगस्त 2013/2010/ (खण्ड-III)

दिनांक: - 23 - 05 - 2013

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र संख्या 12

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय

क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/ एन.ए.ए.ए. शिमला/आई सी आई एस ए नोएडा एवं

निदेशक (कार्मिक)

विषय: - अगस्त, 2013, अधीनस्थ लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा (एस ए एस.)/राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन (आई) एवं सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी- I) परीक्षाएँ।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय की स्टाफ नियुक्ति विंग ने अपने पत्र संख्या 602-स्टाफ(नियुक्ति -I) /25-2011 दिनांक 20-05-2013 द्वारा जारी परिपत्र संख्या 13 स्टाफ (नियुक्ति - I)/2013 में स्पष्ट किया है कि भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत और पात्रता शर्तें पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी प्रोत्साहन परीक्षा (आईई)/राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा (आरएई) और सीपीडी परीक्षा देने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उन्हें ऋणी संस्थान द्वारा इसके लिए अनुमति दी गई हो। इसे ध्यान में रखते हुए अगस्त 2013 एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परिक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए तिथि 31-05-2013 तक बढ़ा दी गई है। इस प्रकार के सभी लंबित मामले यदि कोई है, का पंजीकरण इस तिथि तक पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। पंजीकरण में आगे कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली।

संख्या. 176/45-परीक्षा/परिपत्र /अगस्त-2013/2010 (खण्ड - III)

दिनांकः-08-05-2013

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र संख्या 11

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय

क्षे.प्र.सं./क्षे.प्र.केन्द्र/ एन.ए.ए.ए. शिमला/आई सी आई एस ए नोएडा एवं

निदेशक (कार्मिक)

विषय: - अगस्त, 2013 अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एस ए एस.)/राजस्व लेखापरीक्षा/ प्रोत्साहन एवं सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी- I) परीक्षाएँ।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि 2013 एसएएस/आरए/आई/सीपीडी- I परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थता के अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्षों को समर्थ बनाने के लिए एडमिन मोडयूल सक्रिय कर दिया गया है। विभागाध्यक्ष उम्मीदवारों के पंजीकरण का अनुमोदन शुरू कर सकते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली - 110124

परीक्षा अनुभाग

संख्या. 506/45-परीक्षा/परिपत्र/अगस्त 2013/20102/ खण्ड-III

दिनांक: - 22 - 04 - 2013

2013 का परिपत्र संख्या 10

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय आर.टी.आई/ आर.टी.सी/ एन.ए.ए.ए. शिमला/आई सी आई एस ए नोएडा एवं निदेशक (कार्मिक)

विषय : - अगस्त, 2013 अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा एस ए एस./राजस्व लेखापरीक्षा/ प्रोत्साहन परीक्षा एवं सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी- I) परीक्षाएँ

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि पी.सी.- I, भाषा कौशल के हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक एस.ए.एस.परीक्षा, अगस्त, 2013 में परीक्षा के लिए कस्टमाईजड ले आउट की बोर्ड "रैमिंगटन" के साथ आम तौर पर प्रयोग होने वाला "अक्षर" फोन्ट उपलब्ध होगा। यही पहले से ही सी.ए.जी की बेबसाइट पर पी.सी.- I भाषा कौशल के अभ्यर्थियों को अभ्यास के लिए डेमो टैस्ट में अपलोड किया हुआ है। डेमो टेस्ट बेबसाइट http/76.74.250.14/cagdtest, पर मार्ग About Us > Other Wings > Examination. द्वारा पहुंचा जाता है। पीसी-4/आईई-4 सूचना तकनीकी (व्यवहारिक) एवं पीसी- I भाषा कौशल पेपर अगस्त 2013 एसएएस/प्रोत्साहन परीक्षा के लिए आपरेटिंग सिस्टम तथा साफ्टवेयर क्रमशः "विडो एक्सपी" एवं "एम एस आफिस 2003" होगा।

इसलिए अभ्यर्थियों को इसके अनुसार प्रशिक्षण देना चाहिए। यह दोहराया जाता है कि अभ्यर्थियों को सी.बी.टी.मोड द्वारा परीक्षा से परिचय कराने के लिए, पी.सी.- I भाषा कौशल के भाग "ब" (मसौदा तथा लेखन योग्यताए) भी सी.बी.टी मोड से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें।

पुनः अभ्यर्थियों के लिए यह भी सूचनार्थ है कि सीबीटी मोड में परीक्षा देते समय टैब एवं कन्ट्रोल कीज, कट, कापी एवं पेस्ट कमान्डस को प्रश्न-पत्र की परीक्षा के समय निष्क्रय कर दिया जायेगा। टूल बाक्स में दर्शाया गया इन्डेन्ट बटन का प्रयोग पैरो के बीच की जगह बढाने या घटाने में किया जाता है जैसा कि अनुदेशों में इंगित है। पी.सी.- 4 /आई.ई.- 4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक)प्रश्न-पत्र में भी शार्ट कट कीज जैसे Ctrl Key भी निष्क्रय रहेगा।

अगस्त, 2013 की एस.ए.एस./आई.ई. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय
हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र सं. 09

सं. /35- परीक्षा /2008 /V
दिनांक 04-04.2013

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय (अधीनस्थ कार्यालयों सहित) आर टी आई/आर टी सी/एनएएए/आईसीसा एवं निदेशक (कार्मिक)

विषय:- अगस्त 2013 में आयोजित होने वाली निर्धारित अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए छूट स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय एंव भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96 - स्था., (आरईएस) खण्ड II के अर्न्तगत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने अगस्त 2013 में आयोजित होने वाली निर्धारित अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को अनुमत की जाने वाली छूट की सीमा के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि छूट की सीमा निम्न प्रकार होगीः-

अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा, परीक्षा के समूह –I और II के सभी प्रश्न पत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में उन परीक्षार्थियों को जो विशेष प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नही करते हैं, को उस प्रश्न पत्र में छूट के साथ-साथ उत्तीर्ण घोषित करने के लिए 5 प्रतिशत तक अकों की छूट प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त छूट केवल अगस्त 2013, में अयोजित होने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, परीक्षा के लिए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की छूट की सीमा का निर्धारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा, परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व किया जायेगा।

इस छूट के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु. ज. जा. परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त छूट के बारे में सूचित कर दिया जाए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेंजे।

भवदीय
हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।
परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र संख्या. 08 जो कि पत्र संख्या.276 /45-परीक्षा / परिपत्र/ अगस्त 2013/2010 खण्ड - III./ दिनांक: - 04 - 04 - 2013 के अन्तर्गत जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद।

विषय: -अगस्त 2013 में होने वाली एस ए एस./आर.ए./आई/सी.पी.डी.- I परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश और परीक्षा केन्द्रों की सूची।

महोदय/महोदया,

जैसा कि परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 01 जो कि पत्रांक सं.14 /249-परीक्षा/प्रो. /एस.ए.एस.ई।आर.ए.ई./आई.ई/ सी.पी.डी-I/अगस्त 2013 दिनांक 09-01-2013 के अन्तर्गत जारी किया गया था के द्वारा पहले सूचित किया गया था कि अगली एस.ए.एस/आर.ए./आई/सी.पी.डी- I परीक्षाये अगस्त 2013 में आयोजित होगी। परीक्षाओं का तिथि पत्र बाद में जारी किया जायेगा।

2. उपरोक्त परीक्षाओं के लिए सम्भावित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 29-04-2013 से 10-05-2013 तक होगा। क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन है इसमें की गई प्रविष्टियों के साथ पंजीकरण को पुनः खोले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए महत्व दिया जाता है कि अभ्यर्थियों के विवरणों की यथातथ्यता का सत्यापन एवं सुनिश्चय सेवा पुस्तिका और इस सम्बन्ध में दूसरे अभिलिखों से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाता है तो अवसर को उसका उपयोग किए जाने के समान माना जाएगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का ऑन लाइन पंजीकरण संबंधित संवर्ग नियन्त्रित कार्यालयों, में उनके आवेदन पत्रों को भरवाकर पंजीकृत किया जाना है। सम्बन्धित कार्यालयों के वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (प्रशासन) अथवा वरिष्ठ

लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन) को अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना है तथा अभ्यर्थियों के विवरणों की यथातथ्यता को सुनिश्चित करना है। इससे न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी बल्कि पंजीकरण में दुहरीकरण से बचाव होगा और यह निवेश नियन्त्रण के रूप में कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्टरनेट की सुविधा सहित एक या अधिक समर्पित कम्प्यूटरों को पृथक/उद्दिष्ट करना चाहिए।सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण तथा अभ्यावेदन के अनुमोदन, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, के लिए कूटशब्द उत्पन्न किये जा चुके हैं और अलग से सम्प्रेषित किए जा रहे है।

अत्यन्त महत्वपूर्ण

4. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने के बाद भी अपूर्ण/गलत/विलम्बित पंजीकरण के कुछ मामले देखने में आये हैं। **अपात्र अभ्यर्थियों के पंजीकरण के मामले प्रकाश में आये है**। पंजीकरण विवरणों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के समय समूह I या समूह II या दोनो समूहो के लिए आवेदन पत्र किया या खाली छोड़ दिया तथा अन्तिम क्षणों में समूह परिवर्तन करने की प्रार्थना की। कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के समय कुछ प्रश्न पत्रों में छूट का दावा नही किया तथा पंजीकरण के समापन के बाद या प्रवेश पत्र जारी करते समय छूट का दावा किया। **इनसे यह संकेत मिलता है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थन का अनुमोदन करते समय अभ्यर्थियों के विवरणों की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ठीक से जाँच नहीं की गई है।** इसे नही दोहराया जाना चाहिए । इसलिए कृपया अन्य बातों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:-

(i) अभ्यर्थी का पूरा नाम और उसका पितृत्व सेवा पुस्तिका के अनुरूप ही दर्ज किया गया है। सभी विवरणो की पूर्ण जाँच के बाद अभ्यर्थियों का पंजीकरण प्रशासन द्वारा अनुमोदित/प्रस्तुत किया जाना है। विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करे कि भरे गये विवरण पूर्ण तथा सही है एवं केवल पात्र अभ्यार्थियों का पंजीकरण किया गया है

(ii) अभ्यर्थी के ब्यौरों की विधिवत जाँच कर ली गयी हैः विशेष रूप से सूचकांक संख्या/वर्ष / शाखा जिसमें कि वह बैठा/बैठी है, पदनाम और छूट का दावा। एस.ए.एस./एस.ओ.जी.ई. तथा नॉन एस.ए.एस से संबंधित छूट के दावो का विवरण ठीक ठीक फील्ड़ में भरे गये है।

(iii) पात्र मंडलीय लेखाकार/मंडलीय लेखा अधि.- II द्वारा पी.सी.-16 में छूट के दावे के लिए पंजीकरण मॉडयूल में एक अलग फील्ड का प्रावधान किया गया है। मंडलीय लेखाकार ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा अनुक्रमांक को उनके लिए बनाये गये फील्ड में दर्ज करना हैं । मंडलीय लेखाकारो/मंडलीय लेखा अधि. ग्रेड - II द्वारा पी.सी.16 में छूट सम्बन्धी विवरणों की जाँच करके भेजना है।

(iv) अभ्यर्थी संबंधित संवर्ग नियात्रित कार्यालयों से जिससे कि उनका संबंध है से पंजीकृत होने चाहिए। जिस फोटो को अपलोड किया जा रहा है वह प्रथम मार्च 2013 से पूर्व का नही होना चाहिए।

(v) यदि किसी कार्यालय विशेष से पंजीकृत होने बाद किसी भी अभ्यर्थी का स्थानान्तरण दूसरे कार्यालय में हो जाता है तो उसके दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण के विषय में मुख्यालय को तुरन्त सूचित करें।

5. उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु विस्तृत निर्देश/चरण केन्द्रों की सूची सहित संलग्न हैं।

6. पुनः, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना जैसा कि समुदाय, छूट के दावे आदि की विस्तृत जाँच के अतिरिक्त स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (प्रशासकीय) खण्ड -I के अध्याय IX में निर्धारित अन्य दूसरी जाँचों का पूर्ण सत्यापन विभागाध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाना है।

परिपत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय,
हस्ताक्षरित

अनुलग्नकः- उपर्युक्तानुसार

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

अगस्त 2013 की एस.ए.एस./आर.ए./आई/सी.पी.डी-I परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश

(अ) अभ्यर्थियों का पंजीकरण -(रजिस्ट्रेशन माडयूल)

(1) http://examreg.cag.gov.in/registration/ वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(2) प्रणाली आपके कार्यालय कोड एवं कूटशब्द के लिए पूछती है। कृपया उन्हें दर्ज करें। कूटशब्द अलग से भेजा जा रहा है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन में महत्वपूर्ण आवश्यक सारी जानकारी हेतु लाल तारांकन का संकेत दिया गया है। प्रणाली आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक कि लाल तारांकन वाली सारी जानकारी भरी न जा चुकी हो।

(4.) फरवरी/मार्च 2013, सितम्बर 2012 मार्च 2012 (पूरक), अगस्त 2011 या नवम्बर 2010 की सी बी टी प्रणाली में पंजीकृत अभ्यर्थी अपनी नवीनतम सूचकांक संख्या सी बी टी दर्ज करें। जन्म तिथि का चयन करें और प्रस्तुत (Submit) बटन दबाएं। उसके बाद जैसा पूछा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

(5.) परीक्षार्थी जो पूर्व की अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा मे बैठे थे और सी बी टी में नही बैठे है उनका अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा की सूचकांक संख्या,वर्ष और माह जिसमें वह अन्तिम बार सम्मिलित हुए थे दर्ज करने के बाद "प्रस्तुत नया पंजीकरण (submit new registeration)" बटन को दबाएं। तब जैसा कहा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

(6.) "प्रस्तुत (Submit)" बटन को दबाने से पहले अभ्यर्थी के विवरण की सूक्ष्म जांच कर लें। यदि किसी जानकारी को संशोधित करना हो तो ऐसा करने के लिये "सम्पादित (Edit)" बटन दबायें। यदि सम्पादित किया जाए तो हस्ताक्षरित फोटो को एक बार फिर "ब्राउज़ (Browse)" बटन का प्रयोग करके पुनः अपलोड करें। **दोहराने के लिये; यदि किसी भी जानकारी को संशोधित/सम्पादित किया जाता है तो हस्ताक्षरित फोटो को ब्राउज़ बटन का प्रयोग करके पुनः संलग्न/अपलोड करें।** एक बार प्रस्तुत करने पर, पंजीकरण के स्तर पर पंहुच कर संशोधन नही किया जा सकता।

(7) "प्रस्तुत (Submit) करने के बाद प्रणाली आवेदन को अंतिम रूप समझती है और अभ्यर्थी का एस.ए.एस. परीक्षा के लिए "S" राजस्व लेखा परीक्षा, परीक्षा के लिए R, प्रोत्साहन परीक्षा के लिए I तथा सीपीडी - I परीक्षा के लिए C उपसंर्ग लगाकर सूचकांक संख्या बना देता है।

(8) सूचकांक संख्या अभ्यर्थी द्वारा नोट किया जाये जो कि भविष्य में पत्राचार के लिए उपयोगी है और विन्डो बंद कर दें।

(9) वैकल्पिक जानकारी जैसे ई-मेल पता, मोबाईल फोन नम्बर तथा कार्यालय पहचान पत्र संख्या सही ढग से लिखें जिससे प्रवेश पत्र के जनन तथा प्राप्त करने और परीक्षा हाल में प्रवेश करने के लिए संदेश भेजने की सुविधा दी जा सके ।

(10) प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। याद रहे, एस.ए.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु नवम्बर 2010 से केवल छह प्रयास ही अनुमेय है। इसलिए, केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकरण करे जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। एक बार अभ्यर्थी का पंजीकरण हो गया तो अभ्यर्थिता से वापसी अनुमेय **नहीं** है।

(ब) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन (प्रशासनिक मॉडयूल)

1) विभागाध्यक्ष को सीएजी की एमएसओ (प्रशासनिक) खण्ड -I के अध्याय 9 के अनुसार छूट की अनुमति सहित अच्छी तरह से जाँच कर लेनी चाहिए।

(2) प्रणाली आपका प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूट शब्द पूछती है। प्रयोक्ता आई. डी. "cag" है तथा कूट शब्द अलग से भेजा जा रहा है। कृपया उन्हें दर्ज करें। विभागाध्यक्ष प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूटशब्द को बदल सकता है।

(3) विभागाध्यक्ष (HOD) अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी का विवरण देख सकते है। प्रणाली उस दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या को उनकी सूचकांक संख्या के साथ दिखाती है।

(4) विभागाध्यक्ष अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या तथा स्क्रीन पर उपलब्ध छूट का उत्पत्ति स्थान पर क्लिक करके अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट की गई छूट के दावो का सत्यापन ऑन लाइन कर सकते है।

(5) विभाग प्रमुख "सम्पादन (Edit)" मेनू के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी को संशोधित कर सकते है।

(6) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्पादन हेतु http://examreg.cag.gov.in/cag-admin वेब पते पर लॉग ऑन करें। दिये गये विस्तृत विवरण के सत्यापन के बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। यह अभ्यर्थी के आवेदन के लिए विभाग प्रमुख के अनुमोदन को पूरा करता है।

(7) कोई भी स्पष्टीकरण गैर अनुमोदित अभ्यर्थी सहित अभ्यर्थी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत विभाग प्रमुख को "admin" मॉडयूल पर दोबारा से जाकर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का अनुमोदन कर सकते है।

भवदीय,
हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

अगस्त 2013 में होने वाली एस.ए.एस/आर.ए/आई/सीपीडी- I परीक्षाओं के केन्द्रों की सूची-

1. अगरतला

2. अहमदाबाद
3. ऐजवल
4. इलाहाबाद
5. बैगलौर
6. भोपाल
7. भुबनेश्वर
8. चण्डीगढ
9. चैन्नई

भुवनेश्वर में कटक

10. देहरादून

मुम्बई में गोवा

11. गैंगटोक
12. गोरखपुर
13. ग्वालियर
14. गोवाहाटी
15. हैदराबाद
16. इम्फाल
17. जयपुर
18. जम्मू
19 कोची
20. कोलकाता
21. कोहिमा

चंडीगढ में कपूरथला
थ्रीशूर में कोजीकोड

22. लखनऊ
23. मुम्बई
24. मदरै
25 नागपुर
26. नई दिल्ली
27. पुणे
28. पटना

कोलकाता में पोर्टब्लेयर

29. रांची
30. रायपुर
31. राजकोट

32. शिलांग
33. शिमला
34. श्रीनगर
35. थ्रीशूर
36. तिरूवन्नतपुरम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली

सं.   /45-परीक्षा/परिपत्र/अगस्त-2013/2010(खण्ड-III)
दिनांकः 02.04.2013

परीक्षा अनुभाग
2013 का परिपत्र सं. 7

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित विभागाध्यक्ष
आरटीआई/आरटीसी/लेखा एवं लेखापरीक्षा राष्ट्रीय
अकादमी/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (का.)

विषयः अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन एवं (सीपीडी-I) परीक्षाएं।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2013 के परिपत्र सं.1 जो कि पत्र सं. 14/249–परीक्षा/कार्यक्रम/एसएएस/आरए/आई/सीपीडीई/अगस्त-2013 दिनांक 09.01.2013 के अर्न्तगत जारी किया गया था के निरन्तरता में यह सूचित किया जाता है कि अगस्त 2013 के लिए एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I परीक्षाओं के लिए योग्य अभ्यार्थियों का आन लाईन पंजीकरण दिनांक 29.04.2013 से 10.05.2013 तक खुला रहेगा। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अभ्यार्थियों के पंजीकरण के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड अलग से भेजे जा रहे हैं।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

सं. /45-परीक्षा/परिपत्र/अग.13 /2010 (खण्ड-।।।)
दिनांकः 28-3-13

परीक्षा अनुभाग

2013 का परिपत्र संख्या 06

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./ रा.ले.एवं .पा. अकादमी/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषय: - अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस)/राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा अगस्त 2013।

महोदय/महोदया,

अगस्त 2013 में अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा (एसएएस)/राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षाएं निम्नलिखित कार्यालयों में आयोजित करने का निर्णय किया गया हैः-

(अ) लेखापरीक्षा कार्यालय

(i) राजस्व लेखा परीक्षा (आरएई) सभी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(ii) अधीस्थ लेखापरीक्षा (एसएएस) परीक्षा सभी कार्यालयों में (सभी श्रेणियों के लिए) आयोजित की जाएगी।

(ब) लेखा एवं हकदारी कार्यालयः

(i) प्रोत्साहन परीक्षा (आईई) सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(ii) अधिनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगीः

क्र.सं.	**ले. एवं हक. कार्यालय का नाम**	**सभी श्रेणी**	**केवल अ.जा. एवं ज.जा. के लिए**	**केवल अ.जा. के लिए**	**परीक्षा का आयोजन न करना**
1	आन्ध्र प्रदेश	--	हां	--	--
2.	अरूणाचल प्रदेश	हाँ	--	--	--
3.	असम	--	--	हाँ	--
4.	बिहार	हाँ	--	--	--

5.	छत्तीसगढ	हाँ	--	--	--
6.	गुजरात	हाँ	--	--	--
7.	हरियाणा	--	--	हाँ	--
8.	हिमाचल प्रदेश	--	हाँ	--	--
9.	जम्मू एवं कश्मीर	हाँ	--	--	--
10.	झारखण्ड	--	--	--	हाँ
11.	कर्नाटक	--	हाँ	--	--
12.	केरल	--	हाँ	--	--
13.	मध्य प्रदेश	--	हाँ	--	--
14.	महाराष्ट्र	--	हाँ	--	--
15.	मणिपुर	हाँ	--	--	--
16.	मेघालय	हाँ	--	--	--
17.	मिजोरम	हाँ	--	--	--
18.	नागालैण्ड	हाँ	--	--	--
19	उड़ीसा	--	--	--	हाँ
20.	पंजाब	--	--	हाँ	--
21.	राजस्थान	--	--	--	हाँ
22.	सिक्किम	--	--	--	हाँ
23.	तमिलनाडु	--	--	हाँ	--
24.	त्रिपुरा	--	--	हाँ	--
25	उत्तर प्रदेश	--	--	हाँ	--
26.	उत्तराखण्ड	हाँ	--	--	--
27.	पश्चिम बंगाल	--	हाँ	--	--

(स) एस ए एस (लेखापरीक्षा) लेखा एवं हकदारी कर्मचारियों के लिए लेखा एवं हकदारी कार्यालयों से नये अभ्यर्थियों को एस ए एस (लेखापरीक्षा) 2013 में बैठने की अनुमति नहीं है। तथापि ऐसे वर्ग "ब " तथा " स " कर्मचारियों जो पूर्व वर्षों में एस ए एस (लेखापरीक्षा) में पहले भाग ले चूके है एवं अभी कुछ प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने बाकी है तथा 6 अवसर भी पूर्ण नहीं हुए है, एस ए एस (लेखापरीक्षा) अगस्त, 2013 में बैठने की अनुमति है। सभी कर्मचारियों को एस ए एस (लेखापरीक्षा) अगस्त, 2013 में बैठने की अनुमति केवल तभी होगी जब वे परीक्षा लिखित में इस आशय का वचन-पत्र देगें कि एस ए एस (लेखापरीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दो वर्षों के अन्दर लेखा परीक्षा कार्यालय के लिए अन्तरण (switch over) करगें। यह वचन-पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने से पूर्ण प्राप्त कर लिया जाये।

भवदीय,
हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

<u>परीक्षा अनुभाग</u>

संख्या. 249 प्र.नि.(परीक्षा)/परिणाम/
पूरक-एसएएस/फर.-मार्च/2013

दिनांकः- 15-03-2013

2013 का परिपत्र संख्या 5

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय

विषयः- फरवरी/मार्च, 2013 पूरक एस.ए.एस परीक्षा का परिणाम

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि 26-02-2013 से 02-03-2013 तक आयोजित की गई पूरक एस.ए.एस परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया परिणाम तथा गणना कार्ड निम्नलिखित वेब लिंक, http://exareg.cag.gov.in/cag_admin/ या http://saiindia. gov.in/ english/home/about_us/Other Wings/Examination/ Result/Result. html से डाउनलोड करें।

यूजर आईडी तथा पासवर्ड वही है जैसा अभ्यर्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्षों को भेजा गया था। हस्ताक्षरित ठोस प्रति अलग से भेजी जा रही है।

भवदीय,
हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

संख्या. 91/121 परीक्षा/विविध/2006

दिनांकः- 23-02-2013

2013 के परिपत्र संख्या 4 जो कि पत्रांक सं. 117/45-परीक्षा/परिपत्र/2010 (खण्ड-II) दिनांक 06-02-2013 के अन्तर्गत जारी किया गया है का हिन्दी अनुवाद।

महोदय/महोदया,

पत्र संख्या 14/249-परीक्षा/कार्यक्रम/ एस.ए.एस.ई/ आर.ए.ई/ आई.ई/ सी. पी. डी. ई/अगस्त 13 दिनांक 09-01-2013 के अन्तर्गत जारी किए गए परीक्षा अनुभाग के 2013 में के परिपत्र संख्या 1 की निरंतरता में अगस्त 2013 में वार्षिक/नियमित एस.ए.एस /आर.ए/ आई/ सी.पी.डी के संचालन के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक अभ्यर्थी एक ही समय पर सीपीडी चरण-I परीक्षा के साथ राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा/ प्रोत्साहन परीक्षा में उपस्थित हो सकता है, यदि वह दोनों परीक्षाओं के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे।

भवदीय,

हस्ताक्षरित
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

संख्या. 88/121 परीक्षा/विविध/2006
दिनांकः 23 02 201

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

संख्या. 90/121 परीक्षा/विविध/2006
दिनांकः 23-02-2013

2013 के परिपत्र संख्या 3 जो कि पत्रांक सं. 106/45-परीक्षा/ परिपत्र/ एस.ए.एस- आपूर्ती/ फरवरी,13/2012 दिनांक 29-01-2013 के अन्तर्गत जारी किया गया है का हिन्दी अनुवाद।

विषयः-फरवरी/मार्च, 2013 में होने वाली पूरक एस.ए.एस. परीक्षा के लिए प्रवेश -पत्र।

महोदय/महोदया,

फरवरी/मार्च पूरक एस.ए.एस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र तैयार हैं तथा निम्नलिखित लिंक से 29-01-2013 से 10-02-2012 तक डाउनलोड किए जा सकते है। प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी किए जाने है तथा अभ्यर्थी द्वारा सीधे डाउनलोड की अनुमति नही है। अभ्यर्थी को अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो जो कि 01-10-2012 से पहले की न हो, प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर चिपका कर हस्ताक्षर करने है। प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व.ले.अ./ले.अ. प्रशासन प्रभारी द्वारा प्रमाणित किए जाने है। यह दो प्रतियों में है; एक अभ्यर्थी के लिए तथा दूसरी कार्यालय अभिलेख के लिए (कार्यालय प्रति)। प्रवेश पत्रों का मुद्रण 25 प्रवेश पत्रों के बैच में निम्नलिखित मार्ग पर क्लिक करके लिया जा सकता हैः

- लिंक http://examreg.cag.gov.in/cag_admin
- जैसे कि पहले सूचित किया गया है, अभ्यार्थिता के अनुमोदन के लिए "यूज़र आई. डी. एवं विभागाध्यक्ष पासवर्ड" का प्रयोग करें।
- लॉग इन के पश्चात मेनु बार में उपस्थित एस.ए.एस. अभ्यार्थियों पर क्लिक करें।
- 25 प्रवेश पत्रों के बैच के मुद्रण के लिए "25 प्रवेश पत्रों के मुद्रण के लिए हाइपर लिंक O_24,25_49 .... इत्यादि" पर क्लिक करें।
- एक प्रवेश पत्र के मुद्रण के लिए, अभ्यर्थी के केवल सूची संख्या पर क्लिक करें।
  प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर व.ले.अ./ले.अ. (प्रशासन) के प्रति हस्ताक्षर होने है।

संलग्नकः- नमूना प्रवेश-पत्र

भवदीय
हस्ताक्षरित
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

संख्या. 89/121 परीक्षा/विविध/2006
दिनांकः-23-02-2013

2013 के परिपत्र संख्या 2 जो कि पत्रांक सं. 19/45-परीक्षा/परिपत्र/अगस्त 13/2013 (खण्ड-II) दिनांक 18-01-2010 के अन्तर्गत जारी किया गया है का हिन्दी अनुवाद।

विषयः- अगस्त 2013 एस.ए.एस/आर.ए/आई/सी.पी.डी परीक्षाएँ।

महोदय/महोदया,

पत्र संख्या 14/249-परीक्षा/प्रोग्राम/ एस.ए.एस.ई/ आर.ए.ई/ आई.ई/ सी. पी. डी. ई/ अगस्त 13 दिनांक 09-01-2013 के अन्तर्गत जारी किए गए 2013 के परीक्षा परिपत्र सं. 1 की निरंतरता में अगस्त 2013 के माह में वार्षिक/नियमित एस.ए.एस /आर.ए/ आई/ सी.पी.डी परीक्षाओं के संचालन के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि अगस्त 2013 की एस.ए.एस परीक्षाएँ जिन कार्यालयों में संचालित होगी, उनकी पात्रता बाद में अधिसूचित की जायेगी।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे।

भवदीय,

हस्ताक्षरित
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

संख्या. 88/121 परीक्षा/विविध/2006
दिनांकः- 23-02-2013

2013 के परिपत्र संख्या 1 जो कि पत्रांक सं. 14/249- परीक्षा/ कार्यक्रम/ एस.ए.एस. ई/आर.ए.ई/ आई.ई/ सी.पी.डी.ई/ अगस्त-20 13 दिनांक 09-01-2013 के अन्तर्गत जारी किया गया है का हिन्दी अनुवाद।

विषयः- अगस्त 2013 में वार्षिक एस.ए.एस/आर.ए/आई/सी.पी.डी परीक्षाएँ।

महोदय/महोदया,

पत्र संख्या 1251-स्टाफ (नियु.- I)/18-2010/के.डब्ल्यू दिनांक 27-12-2012 के अन्तर्गत जारी किए गए स्टाफ नियुक्ति विंग के परिपत्र संख्या 43-(नियु.- I) /2012 की निरंतरता में सीएजी के एमएसओ (प्रशासनिक) खण्ड- I के पैरा 9.2.6 में दिए गए प्रावधानों में छूट के संबंध में यह कहा जाता है कि आगामी वार्षिक/नियमित एसएएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षाँए अगस्त 2013 में संचालित होने के लिए अनुसूचित हैं। तिथि-पत्र बाद में सूचित किया जायेगा।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे।

भवदीय,

हस्ताक्षरित
(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)